


:: इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ::

चौदा तलावली, ए. बी. रोड़, इन्दौर-453 771 (म. प्र.)

दूरभाष क्रमांक : (0731) 2802554 / फ़ैक्स : (0731) 2802559



सुरक्षा अमला / कर्मी ठेका ई-निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम)
सुरक्षा अधिकारी / सुरक्षा सुपरवाइजर / सुरक्षा गार्ड / गनमैन प्रदाय हेतु)

: निविदा आमंत्रणकर्ता :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

चौदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर-453 771 (म. प्र.)


:: तालिका ::

(INDEX)

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक 01 से 30 तक
(1)	कवर पेज	01
(2)	तालिका	02
(3)	ई-निविदा आमंत्रण सूचना	03
(4)	निविदा प्रपत्र 1 – कार्य का विवरण, नियम व शर्तें	04 से 20
(5)	निविदा प्रपत्र 2 (अ) तकनीकी अर्हताये	21 से 24
(6)	निविदा प्रपत्र – 02 (ब) तकनीकी अर्हताये संबंधी नियम व शर्तें	25 से 29
(7)	निविदा प्रपत्र– 03 भाव-पत्र दरें	29
(8)	निविदा प्रपत्र – 04 दुग्ध शीत केन्द्र/संयंत्रों की सूची	30

:: इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ::

चौदा तलावली, ए. बी. रोड़, इन्दौर-453 771(म. प्र.)
दूरभाष क्रमांक : (0731) 2802554 / फ़ैक्स : (0731) 2802559



सुरक्षा अमला/कर्मि ठेका ई-निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम) (सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड/गनमैन प्रदाय हेतु)

ई-निविदा क्रमांक : 5633 / प्रशा. / इसदुसं / 2022 इन्दौर, दिनांक 15/11/2022

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा अमला/कर्मि प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से **Two bid system "दो बिड पद्धति"** (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई-निविदा (प्रथम) आमंत्रित की जाती है। निविदा अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी। इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रु. 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक 16/11/2022 दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 07/12/2022 दोपहर 1:00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय कर सकते हैं। किसी भी निविदा (निविदाओं) को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ई-निविदा की संपूर्ण कार्यवाही www.mptenders.gov.in पर संपादित की जावेगी। निविदा संबंधी शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी. सी.डी.एफ. की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट्स पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चौदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर-453 771

मूल्य 1,000 /-

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

1 – प्रस्तावना :-	
1.1	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा अमला/कर्मि प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से जिसे 05 वित्तीय वर्ष क्रमशः, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21, में औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में सुरक्षा अमला/कर्मि प्रदाय का कार्यानुभव अनिवार्य हो, से Two bid system “दो बिड पद्धति” (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई-निविदा (प्रथम), निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अतिरिक्त एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।
2 – अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पता :-	
2.1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चोंदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर-453 771 (म. प्र.) दूरभाष नं. (0731) 2802554, 2802535
3 – निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्पर्क अधिकारी एवं ई-टेंडरिंग हेतु वेबसाईट सम्बंधी विवरण:-	
3.1	उप महाप्रबंधक (प्रशासन), इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, तलावली चोंदा, मांगलिया, इन्दौर-453 771 (म. प्र.), दूरभाष क्रमांक (0731) 2802554, 2802535 E-Mail ID :sanchimsids@gmail.com निविदा संबंधी नियम व शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sanchidairy.com पर मात्र पठन हेतु उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र क्रय व ई-निविदा ऑनलाईन अपलोड वेबसाईट :- http://www.mptenders.gov.in पर किया जाना है।
4 . ई-टेंडर का संक्षिप्त विवरण :-	
4.1	निविदाकर्ता राशि रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) का ई-निविदा पोर्टल पर ऑनलाईन भुगतान कर निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय कर सकते हैं।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

4.2	निविदा आमंत्रण हेतु समय-सारणी :-	
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	16.11.2022 दोपहर 12:00 बजे से
2	निविदा ऑनलाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	07.12.2022 दोपहर 01:00 बजे तक
3	तकनीकी निविदा ऑनलाईन खोलने की तिथि एवं समय	08.12.2022 दोपहर 03:00 बजे
4	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाईन जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)
5	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चोंदा तलावली, इन्दौर
6	निविदा वैधता अवधि	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक से 06 माह तक
7	प्री बीड बैठक तिथि एवं समय	22.11.2022 दोपहर 02:30 बजे

5 – कार्य का विवरण :-	
5.1	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, चोंदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर एवं मिनी डेयरी संयंत्रों/समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों हेतु प्रतिदिन लगभग 90-150 सुरक्षा अमला/कर्मि उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। कार्य की आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों की संख्या समय-समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सफल निविदाकार द्वारा सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड/गनमैन शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों व सेवाकर्मि एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार कार्य की आवश्यकतानुसार प्रदाय किया जाना अनिवार्य है।
5.2	सफल निविदाकार द्वारा प्रबंधन की आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमला/कर्मि उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त सुरक्षा अमला/कर्मि की आवश्यकता होगी तो सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार सुरक्षा अमला/कर्मि की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि सुरक्षा कार्य प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर सुरक्षा अमला/कर्मि के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमला/कर्मि की व्यवस्था व प्रशिक्षण कराने में सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार हेतु मान्य व बंधनकारी होगा।
5.3	सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु नियोजित सुरक्षा अमला/कर्मि की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले सुरक्षा अमला/कर्मि की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षाकर्मि को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला सुरक्षाकर्मि को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
6 – धरोहर राशि (ई.एम.डी.) :-	
6.1	निविदाकार को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से धरोहर राशि (Earnest Money) रुपये 2,00,000/- (रु.दो लाख) Online जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि (Earnest Money) के निविदा अमान्य होगी।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

6.2	मध्य प्रदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में धरोहर राशि के भुगतान से छूट रहेगी तथा उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना होगा। निर्धारित समय-सीमा में भौतिक रूप से जमा की जाने वाली तकनीकी बिड के साथ उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी। मध्यप्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के पंजीकृत निविदाकारों को ई.एम.डी. जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त की जायेगी।
6.3	धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

7 – सुरक्षा निधि :-

7.1	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने कि दिनांक से 10 दिवस की समयसीमा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि रुपये 5.00 लाख (रु पाच लाख मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/आर.टी.जी.एस के माध्यम से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। (1) सकल निविदाकार द्वारा सुरक्षानिधि संघ कार्यालय में जमा की जाकर अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत निविदा के साथ जमा धरोहर राशि रु. 2.00 लाख (अक्षरी रु. दो लाख मात्र) सकल निविदाकार को 01 माह में वापस की जायेगी।
7.2	उक्त सुरक्षा निधि ((Security Deposit)) ठेका समाप्त होने के पश्चात् सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार द्वारा संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र की समस्त शाखाओं, मिनी डेयरी संयंत्रों एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त सुरक्षा अमला/कर्मियों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान के नियमानुसार, व जी.एस.टी राशि शासन नियमानुसार अन्य देय राशि पूर्ण रूप से जमा होने का प्रमाण दिये जाने पर ही वापस की जावेगी।

8- निविदा प्रपत्र भरने हेतु अनिवार्य तकनीकी अर्हताएँ :-

8.1	प्रपत्र क्रं. 02 (अ) में अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं में आवश्यक व अनिवार्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर पृथक से जमा करना अनिवार्य है। इस हेतु प्रपत्र क्रं. 02 (ब) में विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तों का अवलोकन करें।
8.2	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु म. प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था में विधिवत पंजीकृत/संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत वैध/जीवित अनुज्ञप्ति प्राप्त एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी जिसके पास किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था या दुग्ध संघों में कार्य/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में विगत पाँच वित्तीय वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21) में सुरक्षाकर्मी प्रदाय का अनुभव अनिवार्यतः हो तथा वित्तीय वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था या दुग्ध संघों में कार्य/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में न्यूनतम 200 दिवस तक औसतन कम से कम सौ सुरक्षाकर्मी प्रति दिन प्रदाय किये हो का अनुभव अनिवार्य होना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वतः की निरस्त मानी जावेगी।
8.3	यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटिवश अथवा झूठी जानकारी दी जाती है अथवा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

9 – निविदा की सामान्य नियम व शर्तें :-

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

9.1	ई-निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
9.2	यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
9.3	सुरक्षा ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि / कर्मचारी बीमा योजना / ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों / उपक्रमों / विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो सुरक्षा ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त कर दिया जा सकेगा।
9.4	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, दुग्ध संघों / एमपीसीडीएफ के संचालक मण्डल के सदस्यों / उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों / उनके परिजनों एवं एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ का कोई भी कर्मचारी अथवा उस पर निर्भर परिवार के सदस्य निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है।
9.5	यदि किसी निविदाकार द्वारा भाव पत्र / दर सुपरवीजन एवं सर्विस चार्ज दर 1% से न्यून सर्विस चार्ज अंकित किया जाता है, तो ऐसे निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 29(1) 2014-पी.पी.डी. / दिनांक 28.01.2014 के अनुसार) एवं एमपीसीडीएफ कार्यालय के पत्र क्रमांक / 4296 दिनांक 17.12.2020 अनुसार निविदा स्वतः की निरस्त मानी जावेगी।
9.6	यदि सफल निविदाकार ठेकेदार का मुख्यालय इन्दौर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे ठेका आवंटन के पश्चात् इन्दौर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।
9.7	प्रत्येक पाली में सफल निविदाकार सुरक्षा ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त / नियोजित सुरक्षा पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
9.8	सफल निविदाकार सुरक्षा ठेकेदार को संयंत्र / दुग्ध शीतकेन्द्र / कार्यालय / टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित सुरक्षाकर्मियों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
9.9	श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर द्वारा समय-समय-पर निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि तथा एमपीसीडीएफ द्वारा समय-समय सुरक्षाकर्मियों की दरें बढ़ाई जाने पर सुरक्षा अमले को समस्त पारिश्रमिक का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

9.11	निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर के हस्ताक्षर सत्यापन होना आवश्यक है।
9.12	निविदा में किसी प्रकार कांट-छांट या किसी अंश को जोड़ने पर उसे निविदाकार द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। ऐसे अंश पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने की स्थिति में इसे अमान्य माना जायेगा।
9.13	निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत करने पर ऐसी निविदा को अमान्य किया जायेगा। ऐसी निविदा जो निर्धारित निविदा के नियम व शर्तों को पूर्ण नहीं करेंगे वे भी निरस्ती योग्य होंगे।
9.14	अप्रत्याशित कारणों से निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा इस हेतु कोई भी पत्राचार नहीं किया जावेगा।
9.15	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में 02 माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
9.16	निविदाकर्ता किसी भी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ./दुग्ध संघ/सहकारी संस्था से काली सूची में नामांकित नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में काली सूची में होने का खुलासा होता है तो निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। काली सूची में घोषित निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
9.17	सुरक्षा ठेकेदार/एजेंसी एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रकरण निराकरण न होने की स्थिति में "आरबीट्रेशन एक्ट 1996" के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
9.18	निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियां निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
9.19	निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छाया प्रति तथा वित्तीय वर्ष (2016-17 कर निर्धारण वर्ष 2017-18) एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 कर निर्धारण वर्ष 2018-19) वित्तीय वर्ष 2018-19 (कर निर्धारण वर्ष 2019-20) वित्तीय वर्ष 2019-20 (कर निर्धारण वर्ष 2020-21) एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 (कर निर्धारण वर्ष 2021-22) हेतु जमा किये गये आयकर के रिटर्न की स्वसत्यापित छाया प्रतियां संलग्न करना होगी।
9.20	सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं जी.एस.टी कोड नं. की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
9.21	सुरक्षा ठेकेदार को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
9.22	निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने की स्थिति में, निर्धारित समयसीमा में कार्य प्रारंभ न करने/सुरक्षा निधि जमा न करने/अनुबंध न करने की स्थिति में धरोहर राशि जप्त कर द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को नियमानुसार प्रथम न्यूनतम निविदाकार की दर पर सुरक्षा ठेका दिया जा सकेगा।
9.23	निविदा प्रपत्र के नियम व शर्तों तथा विवरणों में वर्णित अर्थात् लगाये गये सुरक्षा अमले का आशय सुरक्षाकर्मी माना जावे।
9.24	ई-निविदा की संपूर्ण कार्यवाही (www.mptenders.gov.in) पर अपलोड की जावे। निविदा संबंधी शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर मात्र पठन हेतु उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ वेबसाइट्स www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

	नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाईट का अवलोकन किया जावे।
10 – मूल्यांकन की प्रक्रिया :-	
10.1	निविदा खोलने की तिथि पर कुल कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं, इसकी जानकारी निविदाकारों को ऑनलाईन ही प्राप्त होगी।
10.2	सर्वप्रथम तकनीकी बिड निर्धारित मूल्यांकन समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके लेटर हेड पर प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जावेगी।
10.3	जो निविदाकार आवश्यक तकनीकी बिड की शर्तों को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बिड को खोला जावेगा। वित्तीय बिड में निविदाकारों द्वारा दी गई दर को उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों को बताया जायेगा। निविदा समिति तकनीकी एवं वित्तीय बिड का मूल्यांकन एवं परीक्षण कर दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी को अपना प्रतिवेदन देगी।
10.4	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता सफल निविदाकार का नाम घोषित किया जायेगा।
10.5	निविदाएं खोलने के पश्चात् यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत होती है और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम दर निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
10.6	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो अधिक टर्न ओव्हर वाले निविदाकार को सफल निविदाकार घोषित किया जावेगा।
11 – अनुबंध की अवधि/निरस्तीकरण :-	
11.1	सुरक्षा ठेका अवधि अनुबंध दिनांक से तीन वर्षों के लिए होगा तथा सुरक्षा ठेका अवधि पूर्ण होने पर व सुरक्षा ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अतिरिक्त एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी। सुरक्षा ठेका डेरी संयंत्र/मिनी डेरी संयंत्र/शीत केन्द्रों/पशु आहार संयंत्र/अन्य स्थल, जहाँ पर सुरक्षाकर्मी पदस्थ किये गये हैं, की सुरक्षा व्यवस्था का ठेका 24 घण्टे का रहेगा। निविदाकार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी।
11.2	निष्पादित अनुबंध को सुरक्षा ठेकेदार अथवा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दो माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यदि पूर्व सूचना दिये बिना ही सुरक्षा ठेका समाप्त किया जाता है, जिससे कार्य प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में ठेकेदार की जमा सम्पूर्ण सुरक्षा निधि राजसात की जाकर सुरक्षा ठेकेदार को काली सूची में अंकित किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
11.3	निविदा स्वीकृत होने पर कार्य आदेश जारी होने की स्थिति में 15 दिवस में निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय से अनुबंध हेतु रुपये 1,000/- (रु एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर अनुबंध का निष्पादन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता है तो कार्यादेश निरस्त कर दिया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
11.4	अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी वाद-विवाद के संबंध में सभी वैधानिक कार्यवाही के लिये क्षेत्राधिकार इन्दौर स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।
12 – सुरक्षा ठेके पर सुरक्षाकर्मी रखे जाने हेतु सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार के लिए नियम व शर्त :-	

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

12.1	प्रत्येक माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई सुरक्षाकर्म की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
12.2	प्रदाय की गई सुरक्षा अमला ठेकेदार के कर्मचारी होंगे वे इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के कर्मचारी नहीं होंगे।
12.3	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध की अवधि में निविदा में स्वीकृत अनुसार ही रहेगी।
12.4	निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व डेरी संयंत्र का भ्रमण कर सकता है।
12.5	सुरक्षा ठेकेदार को आवंटित कार्य बिना इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ की सहमति के किसी अन्य फर्म/एजेसी आदि को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदा निरस्ती योग्य होगी। सकल निविदाकर्ता द्वारा अपने-अपने फर्म/एजेन्सी में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के पूर्व संघ से अनुमति प्राप्त करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में की गई परिवर्तन मान्य नहीं की जावेगा।
12.6	सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा प्रदत्त सुरक्षाकर्म द्वारा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ की किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी अन्य को प्रकट नहीं की जायेगी।
12.7	सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों (जो भी लागू हों) एवं भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन सुनिश्चित करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सुरक्षा ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली सुरक्षा ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली सुरक्षा ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।
12.8	निविदाकार को सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।
13 – सुरक्षाकर्म प्रदाय के लिए नियम एवं सेवा शर्तें :-	
13.1	प्रत्येक सुरक्षाकर्म को ड्यूटी पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा, एवं गणवेश में ही रहना होगा।
14 – सुरक्षाकर्मियों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान संबंधी शर्तें :-	
14.1	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने सुरक्षाकर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख, संबंधित मिनी डेयरी संयंत्र प्रभारी एवं संबंधित दुग्ध शीतकेन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी/वेतन भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक आगामी माह की चार (04) तारीख के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जस का समायोजन सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा। इस हेतु ठेकेदार को सुरक्षाकर्मियों का डाटा साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में संघ को देना होगा। डाटा में केवल इन्दौर दुग्ध संघ में लगाये गये सुरक्षा कर्म ही होंगे अन्य संस्थाओं के नहीं अन्यथा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। डाटा में कोई भी अन्तर/त्रुटि के लिये ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा। संघ से ऑनलाईन भुगतान के समय ठेकेदार के प्रतिनिधि को उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
14.2	सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौती करने की संपूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। नियम अनुसार कटौती निर्धारित समय पर जमा करने की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

14.3	बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं सुरक्षाकर्मियों को भुगतान निर्धारित समय पर करने का संपूर्ण दायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जस का समायोजन सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा। सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरुद्ध नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि के चालान जनरेट कर नियमों में प्रावधानित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कि स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु 50,000/- प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।
14.4	श्रम नियमानुसार सप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम का सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षा ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उपरोक्त भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी, तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जस सुरक्षा ठेकेदार के देयको से कर लिया जावेगा।
14.5	सुरक्षाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि सुरक्षा ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य अन्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भू-राजस्व की बकाया राशि की भौति वसूल की जावेगी तथा सुरक्षा ठेका निरस्त किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
14.6	यदि किसी माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो सुरक्षा ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
14.7	सुरक्षा ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में सुरक्षा ठेकेदार को सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा सुरक्षाकर्मियों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा, चेक से नहीं। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी।
14.8	सुरक्षाकर्मी को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा ठेकेदार द्वारा समस्त सुरक्षाकर्मियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है, अन्यथा रु. 2000/- का आर्थिक दण्ड होगा।
14.9	सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से नियमानुसार आयकर का कटौती कर दुग्ध संघ द्वारा आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत संघ द्वारा किये गये आयकर कटौती का विवरण/प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जायेगा।
15 – कार्य हेतु नियोजित सुरक्षाकर्मियों के संबंध में सुरक्षा ठेकेदार के दायित्व :-	
15.1	सुरक्षा ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त सुरक्षाकर्मियों को कार्य प्रारंभ करने के 10 दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

15.2	सुरक्षा ठेकेदार को रखे गये समस्त सुरक्षाकर्मी का हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय-समय-पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15.3	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक सुरक्षा गार्ड प्रतिमाह राशि रु. 1,000/- तक की पेनाल्टी ठेकेदार पर लगाई जा सकेगी। सुरक्षा ठेकेदार यदि इन्दौर शहर से बाहर का है, तो उन्हें अनुबंध के उपरान्त कर्मचारी राज्य बीमा, इन्दौर कार्यालय का सब कोड (Sub Code) तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि सुरक्षाकर्मी का दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विभाग से कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
15.4	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार एवं कारखाना अधिनियम के परिपालन में सामान्यतः एक से अधिक पाली में निरंतर सुरक्षाकर्मी को कार्य पर नहीं रखेगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने सुरक्षाकर्मियों से प्रतिमाह कार्य कराये, ऐसा नहीं पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। ठेकेदार को सुरक्षाकर्मियों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा। एवजी/रिलीवर चार्ज नहीं दिया जावेगा।
15.5	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।
15.6	यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ कार्यालय सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है, तो सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।
15.6	सुरक्षाकर्मियों के संबंध में उत्पन्न विवाद/समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
15.7	निविदाकार को अनुबंध निष्पादन की दिनांक से 01 माह की अवधि में समस्त सुरक्षा अमले की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति सुरक्षाकर्मी रु. 1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पॉलिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। यदि ड्यूटी करते समय किसी सुरक्षाकर्मी का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15.8	सुरक्षा ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के सुरक्षाकर्मी देना होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई सुरक्षा गार्ड डेरी संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र/ कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे सुरक्षाकर्मी तत्काल हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायापता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी सुरक्षाकर्मी द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर रुपये 1,000/- तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

15.9	<p>सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक गत माह में किये गये कार्यों/लगाये गये सुरक्षा अमले का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर शाखावार/मिनी डेयरी संयंत्रवार /दुग्ध शीत केन्द्रवार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रुप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। गलत देयक प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे सुरक्षाकर्मियों की संख्या मय नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं., यू.ए.एन नं., ई.एस.आई नं. एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।</p>
15.10	<p>सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों के नाम से ई.पी.एफ./ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक सीधा भुगतान किया जा सके। सुरक्षा ठेकेदार को दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र तथा मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में लगाये गये सुरक्षाकर्मियों का पृथक-पृथक चालान प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ द्वारा उक्त चालानों के माध्यम से जमा की गई सुरक्षाकर्मियों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई कर्मचारी अंशदान की राशि का कटौत सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छ.माही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि "इस चालान द्वारा माहमें इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों को प्रदाय किये गये कुल (संख्या) ठेका सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान (..... प्रतिशत) राशि रु. जमा कराया जाना है तथा किसी भी सुरक्षाकर्मियों का नाम छोड़ा नहीं गया है" इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा। इस हेतु सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत का ब्यौरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा।</p>

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

सुरक्षा ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मासिक देयकों के साथ प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु.1,00,000/- प्रतिमाह तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में सुरक्षा ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुरक्षाकर्मीयों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा।

15.11 कान्ट्रेक्ट लेबर (रिग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत निविदाकार के पास सुरक्षाकर्मी प्रदाय हेतु वैध जीवित लायसेंस होना आवश्यक तथा उक्त लायसेंस का समय- समय-पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

16 – शास्ति/अर्थदण्ड :-

16.1 ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security) की राजसात कर काली सूची में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा/अनुबंध की शर्तों का समय-समय पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश क्रियान्वयन में विलम्ब होता है, सेवा प्रदाय करने में विफल होता है तो ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त करते हुए व काली सूची में डाला जा सकेगा। उपरोक्त संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। दुग्ध संघ अपने स्रोत अन्य ठेकेदार को रखा जाकर उनसे कार्य लिया जाकर मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात् कार्य पर भी खर्च/व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से की जाकर निम्नानुसार अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा।

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि रु
1	एक माह तक	लागत का 1 प्रतिशत
2	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत
3	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत

16.2 दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेसियों से पृथक-पृथक स्थितिवार की जावेगी :-

16.2 (i) – वाहन में परिवहन के लिये डेयरी डाक से वाहन पर दूध एवं दूध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डाक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में “दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली 03 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक-सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों (पक्षों) पर पृथक-पृथक लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के

	<p>प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।</p> <p>16.2 (ii) :- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात् डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिंग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/संयंत्र में कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी/संघ द्वारा निर्मित कमेटी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शाई गई मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के अधिक पैकेट पाये जाने पर दो एजेंसिज यथा परिवहनकर्ता व डेयरी डाक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 02 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः वितरक-सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डाक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों एजेंसिज (पक्ष) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र /दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।</p>
17- सुरक्षाकर्मियों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होना :-	
17.1	<p>सुरक्षा ठेकेदार को किसी भी सुरक्षाकर्मी को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने की दशा में श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए देय मुआवजा एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान संबंधित विभाग से कराने की सम्पूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। उपरोक्त के संबंध में प्रबंधन की किसी भी प्रकार की कोई जबाबदारी नहीं होगी।</p>
18-	<p>1) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्टों में 24 घण्टे की जावेगी एवं सम्भावित होने वाली चोरी, नुकसान एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करेगा। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना सम्बन्धित शाखा प्रमुख को अविलम्ब युक्तियुक्त समय में सुरक्षा विभाग द्वारा मौखिक/लिखित में दी जावेगी। घटना प्रकरण में संघ द्वारा जाँच की जावेगी तथा जाँच उपरांत सुरक्षा शाखा के उत्तरदायी पाये जाने पर संघ द्वारा निर्धारित की गई हानि की राशि वसूल करने एवं सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी। सामान्यतः दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की चोरी में सुरक्षाकर्मी लिप्त पाये जाने या शिकायत आने पर दुग्ध/दुग्ध पदार्थ की राशि का 50 गुणा राशि से सुरक्षा ठेकेदार को दण्डित किया जायेगा और सुरक्षाकर्मी को तत्काल सुरक्षा ठेके से बंद कर उसके स्थान पर अन्य को पदस्थ कर प्रशासन शाखा को तत्काल सूचित करना होगा।</p> <p>2) इन्दौर डेरी संयंत्र में केन/क्रेट/ढक्कन की चोरी, प्लिफ्रेज न हो, इसकी जवाबदारी हेतु विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी :-</p> <p>2(i) केन/क्रेट निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डाक, स्टोर या स्टोर डाक) व्यवस्थित रूप से रखी जावेगी, जिसकी संपूर्ण निगरानी सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं बिना गेटपास या इण्डेंट/ रिटर्न</p>

	<p>स्लीप के कोई भी सामान, क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डाक से नीचे या स्टोर के बाहर नहीं ले जाई जावे एवं न ही अन्य प्रयोजन में उपयोग में लाई जावे।</p> <p>2(ii) केन/क्रेट/ढक्कन की गणना करते समय सुरक्षा ठेकेदार को सूचित किया जावेगा, इस हेतु उन्हें प्रतिनिधि देना अनिवार्य है एवं संबंधित डाक/स्टोर पर गणना के समय टूटी-फूटी क्रेट/केन/ढक्कन भी सम्मिलित की जावेगी, अन्य संस्थाओं की क्रेट स्वीकार नहीं की जावेगी।</p> <p>2(iii) डाक से क्रेट/केन/ढक्कन डेयरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु सुरक्षा ठेकेदार के प्रतिनिधि वितरण शाखा के वितरण लिपिक एवं उत्पादन शाखा के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। एक रजिस्टर वितरण लिपिक द्वारा रखा जावेगा। (क्रेट एकाऊन्ट रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर रखा जावेगा। उक्त रिकार्ड/रजिस्टर में काटा-पीटी एवं ओवर राईटिंग न हों।</p> <p>उपरोक्त बाहर गये क्रेट/केन/ढक्कन डेयरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किये जावेंगे। साथ ही डेयरी संयंत्र में इन क्रेट/केन/ढक्कन का वापसी रिकार्ड वितरण लिपिक एवं सुरक्षा विभाग अपने रिकार्ड /रजिस्टर में रखेंगे। इन्द्राज अंकों एवं शब्दों में दोनों ही तरीकों से अंकित होगा। संबंधित अपने पूर्ण हस्ताक्षर मय दिनांक के करेंगे।</p>
	<p>प्रत्येक दिन बाहर गये एवं अंदर आये क्रेट/केन/ढक्कन के रिकार्ड, विपणन शाखा एवं सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा रखे गये रजिस्ट्रों के अनुसार रिकन्सिलेशन मासिक/निश्चित समय पश्चात् किया जावेगा। माह की प्रथम तिथि प्रातः रिटर्न आने से पूर्व सुरक्षा ठेकेदार के सुपरवाइजर, उत्पादन शाखा के प्रतिनिधि एवं विपणन लिपिक, डेरी में बचे क्रेट/केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि सुरक्षा ठेकेदार का कर्मचारी अनुपस्थित होगा तो इसके लिए सुरक्षा ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगी व वस्तुस्थिति जो भी होगी, वे मान्य एवं बंधनकारी होगी।</p> <p>उक्त प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी प्रकार क्रेट्स/केन/ढक्कन में रिकार्ड अनुसार कोई कमी आती है तो उसके लिए सुरक्षा ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा तथा तत्काल उसकी सूचना लेखा शाखा एवं प्रशासन शाखा को दी जावेगी। प्रशासन शाखा के माध्यम से संबंधित सुरक्षा ठेकेदार के देयक से कटौती किये जावेंगे, जो सुरक्षा ठेकेदार को मान्य करना होगा।</p> <p>2(iv) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा समस्त प्रकार की सामग्री को बाहर जाने एवं अंदर आने, सभी वाहनों के बाहर जाने एवं अंदर आने, समस्त व्यक्तियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को अंदर आने एवं बाहर जाने के रिकार्ड (प्रवेश गेट पर) रखने की जवाबदारी होगी एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा विवेकानुसार आर्थिक दंड अधिरोपित होगा।</p>
19-	<p>सुरक्षा ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, पेंट, शर्ट, टोपी, बेल्ट, जूते मोजे, बैज, लाठी, सिटी, टॉर्च, प्रोटेक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र आदि उपलब्ध करायेगी, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हों। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उक्त अनुसार गणवेश प्रदाय नहीं करने या सुरक्षाकर्म बिना गणवेश के पाये जाने पर प्रबंध द्वारा सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध रु. 100/- प्रतिदिन प्रति गार्ड पेनल्टी लगाई जा सकेगी। (साथ ही दुग्ध संघ द्वारा उपरोक्त वस्तुएँ क्रय कर सुरक्षाकर्म को प्रदाय की जा सकती है तथा इस हेतु आया हुआ व्यय सुरक्षा ठेकेदार के बिल से प्रबंध द्वारा काट लिया जावेगा)।</p>
20-	<p>सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रबंध के निर्देशानुसार सुरक्षा अधिकारी, गनमैन, सुरक्षा कर्म उपलब्ध कराना होगा, जहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा लागू नहीं है, वहाँ पर पदस्था सुरक्षाकर्म की ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी लेना होगी तथा आकस्मिक कोई भी घटना घटित होने पर देय मुआवजे की समस्त जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की रहेगी, संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।</p>

21-	<p>सुरक्षा ठेकेदार को दिए गए आदेशानुसार सुरक्षाकर्म (स्टाफ) को निर्धारित समय पर ड्यूटी पर तैनात करना अनिवार्य रहेगा। उनका प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर रखे जावेंगे, जो कि प्रबंध या उसके प्रतिनिधि की आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करना होगा। यदि दिए गए आदेश निर्देशानुसार सुरक्षाकर्म का स्टाफ तैनात नहीं किये जाने पर निम्नानुसार राशि से अर्थदण्डित किया जायेगा।</p> <p>➤ निर्धारित संख्या से कम गार्ड/पर्यवेक्षक लगाये जाने पर प्रति पारी रु. 500/- से 5,000/- तक की राशि से अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है, वह प्रबंध के विवेक पर निर्भर रहेगा।</p>
22-	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख-रखाव सुनिश्चित करना होगा एवं समय-समय-पर उसका उपयोग निरीक्षण/परीक्षण सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी) के निर्देशानुसार करना होगा, ताकि ऐसी घटनाएँ घटित होने पर त्वरित गति से आग पर काबू पाया जा सके।
23-	सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगी कि, स्टोर एवं उसके अंदर या बाहर रखी सामग्री को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे।
24-	सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगी कि, अनाधिकृत एवं निर्षधित/प्रवेश बंद व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सकें। यदि प्रवेश बंद व्यक्ति संयंत्र में पाया जाता है तो रु. 500/- अर्थदण्डित से दण्डित किया जावेगा, यदि वहीं व्यक्ति दोबारा संयंत्र में प्रवेश कर जाता है तो रु. 5,000/- तक या इससे अधिक राशि से दण्डित किया जा सकेगा।
25-	सुरक्षा ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि, वह कार्यालय/संयंत्र परिसर में शांति बनाये रखें एवं कर्मचारियों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के झगड़े इत्यादि को रोके।
26-	सुरक्षा ठेकेदार को कार्य हेतु प्रबंध द्वारा उचित स्थान उपलब्ध कराया जावेगा एवं बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्निचर प्रदाय किया जावेगा।
27-	ठेके के दौरान सुरक्षा ठेकेदार इन्दौर दुग्ध संघ/महासंघ/अन्य दुग्ध संघ के कर्मचारियों या उनके रिश्तेदारों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सुरक्षा ठेकेदार में कार्य पर नहीं ले सकेगी।
28-	सुरक्षा ठेकेदार प्रबंध के प्रशासकीय प्रमुख एवं अन्य शाखा प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होगी एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करेगी।
29-	सुरक्षा ठेकेदार को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने से पूर्व पुलिस विभाग से सत्यापन कर एवं प्रबंध से कर्मों की योग्यता एवं आयु पुष्टि की अनुमति पश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत ही सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करेगा, अन्यथा वेतन देय नहीं रहेगा।
30-	सुरक्षा ठेकेदार को यह अधिकार होगा कि, वह मेनगेट से आने-जाने वाले वाहनों, प्रबंध के अधिकारियों/कर्मचारियों, बाहरी व्यक्तियों की तलाशी ले सकती है एवं संयंत्र गोडाऊन, परिसर में भी आवश्यकतानुसार तलाशी ली जा सकती है। तलाशी के दौरान अवैध सामग्री जब्त होने पर सामग्री की 20 गुना कीमत वसूली जावेगी।
31-	सुरक्षा ठेकेदार के कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंध की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रबंध के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
32-	<p>सुरक्षा ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए निम्न अहर्ताएँ निर्धारित की जाती हैं तथा पदस्थी के पूर्व व्यक्तिगत तथा योग्यता सम्बन्धी जानकारी देना होगी :-</p> <p>अ- सुरक्षा अधिकारी : सेना के सूबेदार स्तर/पुलिस के इंस्पेक्टर स्तर का होना चाहिए तथा शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर होना चाहिए तथा आयु 50 से 65 वर्ष होना चाहिए।</p> <p>ब- सुरक्षा सुपरवाइजर : शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण एवं औद्योगिक संस्थान में सुरक्षा कार्य का अनुभव हो।</p> <p>स- सुरक्षा गार्ड : शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, जो लिखना-पढ़ना अच्छी तरह से जानता हों एवं औद्योगिक संस्थान का सुरक्षा व्यवस्था का अनुभव होना चाहिए।</p>

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

	नोट :-सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुरक्षा सुपरवाइजर एवं गार्ड का ड्यूटी प्रत्येक माह बदलकर रोटेशन में ड्यूटी चार्ट प्रकाशित किये जायें और उसकी प्रति सत्यापनकर्ता अधिकारी को दी जावेगी।
33-	प्रबंध द्वारा समय-समय-पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिये सुरक्षा ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
34-	प्रबंध द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय-समय-पर निर्देश दिया जावेगा, जिसका सुरक्षा ठेकेदार द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा।
35-	सुरक्षा ठेकेदार प्रबंध की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार रिकार्ड रखने के लिये उत्तरदायी होंगे।
36-	वेतन भुगतान केवल बैंक DBT के माध्यम से होगा।
37-	सुरक्षा ठेकेदार प्रबंध के निर्देशानुसार दुग्ध, दुग्ध पदार्थ, केन, एवं क्रेट आने जाने की डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट की प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
38-	प्रबंध किसी भी प्रकार की सुरक्षा ठेकेदार को लिपिकीय सुविधा उपलब्ध नहीं करावेगा। सुरक्षा ठेकेदार स्वयं लिपिकीय व्यवस्था करेगा। प्रबंध द्वारा आवश्यकता अनुसार स्टेशनरी, बैटरी सैल इत्यादि उपलब्ध कराये जावेंगे।
39-	सुरक्षा ठेकेदार अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंध को सुरक्षा ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।
40-	प्रबंध को अनुबंध की शर्तों को संशोधित करने, निरस्त करने एवं नई शर्तों को जोड़ने का अधिकार होगा। इसके लिये बिना कारण बताये एक माह की पूर्व सूचना सुरक्षा एजेन्सी को दी जावेगी।
41-	सुरक्षा ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के लिये फेक्ट्री एक्ट के अनुसार परिचय-पत्र हाजरी- कार्ड, अवकाश कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड ठेकेदार को स्वयं ही रखना होगा। कारखाना/श्रम/ई.पी.एफ. निरीक्षक के निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चैक कराने होंगे।
42-	प्रबंध के परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंध को स्व-विवेक से सुरक्षा ठेकेदार पर जुर्माना करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही करने का अधिकार होगा। सुरक्षाकर्मियों का दायित्व है कि, कर्मचारी/श्रमिक/आगन्तुक तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध का पालन करायें।
43-	सुरक्षा ठेकेदार परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिये उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में वह विफल हुई तो प्रबंध स्व-विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना कर सकेगा।
44-	केश राशि तथा स्टोर्स सामान जो वाहन से ले जाना है तथा उस हेतु आर्मड गार्ड्स की आवश्यकता होने पर सुरक्षा ठेकेदार द्वारा आर्मड गार्ड प्रदाय करना होगा।
45-	सुरक्षा ठेकेदार फायर फायरिंग साधनों का रख-रखाव रखेगी तथा सुरक्षा ठेकेदार के सभी अधिकारी/कर्मचारी को फायरिंग साधनों का संचालन विधि का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि आगजनी होने की दशा में इसका उपयोग किया जा सकें। सुरक्षा ठेकेदार आग, दंगे की स्थिति में स्टोर्स के बाहर तथा अंदर रखे सामानों की क्षति न हो, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।
46-	कर्मचारियों के मध्य किसी प्रकार के झगड़े, बाहरी व्यक्तियों द्वारा डेयरी प्रांगण में झगड़ा इत्यादि पर शांति बनाये रखने हेतु आवश्यक कदम उठायेगा।
47-	अनुबंध की समाप्ति के समय सुरक्षा ठेकेदार को क्लियरेंस सर्टिफिकेट, समस्त शाखा प्रमुख से अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा अदेय प्रमाण-पत्र तथा क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त होने के उपरांत ही दुग्ध संघ द्वारा प्रतिभूति राशि लौटाई जा सकेगी।
48-	सुरक्षा ठेका आवंटित होने की दिनांक से सात दिवस के अंदर सुरक्षा एजेन्सी समस्त सुरक्षा कर्मियों का आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अनुभव, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आदि की जानकारी प्रबंध को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा। जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में तथा निर्धारित अहर्ता सुरक्षाकर्मी की नहीं होने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा संबंधित सुरक्षा ठेकेदार के बिल का भुगतान संघ द्वारा नहीं किया जावेगा।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

49-	सुरक्षा ठेकेदार ऐसी किसी सुरक्षाकर्मी को कार्य पर नहीं रखेगा, जिसे न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो तथा सुरक्षाकर्मी का रिकार्ड पुलिस विभाग में खराब दर्ज हुआ है।
50-	सुरक्षा ठेकेदार सुरक्षा कर्मियों को 48 घण्टे कार्य के उपरान्त आवश्यक रूप से साप्ताहिक अवकाश देगा।
51-	सुरक्षा ठेकेदार के सुरक्षा कर्मी कर्तव्य समय के दौरान अनावश्यक रूप से मोबाईल का प्रयोग नहीं करेंगे।
5.2-	उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार को आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, एवं काली सूची में दर्ज कर सुरक्षानिधि राजसात की जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चौदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर-453 771

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

नाम :-

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष / मो.नं. :-

प्रारूप क्रमांक-01

सुरक्षाकर्मियों को मजदूरी भुगतान शर्त क्रमांक 14-1

प्रपत्र क्रमांक-01

सुरक्षाकर्मियों का वेतन भुगतान पत्रक, माह : _____

क्रं.	सुरक्षाकर्मी का नाम (पिता के नाम सहित)	आधारकार्ड का नम्बर	ई.पी.एफ. खाता नम्बर	ई.एस.आई. खाता नम्बर	मस्टररोल के आधार पर माह में सत्यापित कार्य दिवस	प्रतिदिन भुगतान की दर
1	2	3	4	5	6	7

कुल मासिक	कर्मचारी का ई.पी.एफ. अंशदान की राशि	कर्मचारी का ई.एस.आई. अंशदान की राशि	अन्य कटौती	कुल कटौती की राशि	बैंक खाता नम्बर व बैंक का नाम	कुल कटौती के उपरांत शेष कुल वेतन
8	9	10	11	12	13	14

कुल राशि सुरक्षाकर्मी के वेतन बैंक खातों में भुगतान करने का कष्ट कर बिलों / अग्रिम से समायोजित करें।

हस्ताक्षर
सील
दिनांक :

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

प्रपत्र -02 (अ)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर।

महोदय,

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी/सुरक्षा अमला प्रदाय करने हेतु दिनांक को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सुरक्षाकर्मी/सुरक्षा अमला प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रुपये 2,00,000/- (रु. दो लाख) को Online जमा कर पावती निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ एवं तकनीकी अर्हताये के लिये प्रमाण पत्र के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्र०	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण दें	दस्तावेज संलग्न के पृष्ठों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण पत्र)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।	है/नहीं	
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	है/नहीं	
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	है/नहीं	
4	सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।	म.प्र. शासन श्रम विभाग द्वारा प्रतिदिन 100 सुरक्षाकर्मी प्रदाय किए जाने हेतु जारी सुरक्षाकर्मी प्रदाय लायसेंस की प्रति।	है/नहीं	
5	कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं.।	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है/नहीं	
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं.।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है/नहीं	
7	जी.एस.टी. पंजीयन कोड।	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।	है/नहीं	
8	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर का रिटर्न जमा करने का प्रमाण।	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	है/नहीं	

9	वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का टर्न ओवर प्रतिवर्ष राशि रु. तीन करोड़ से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते Profit & Loss A/C की प्रमाणित छायाप्रति तथा ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी ए/3 सी बी (जो भी लागू हो) एवं 3 सी डी)।	है/नहीं	
10	औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में गत 05 वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 100 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहाँ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक कार्य सम्पादित किए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।	है/नहीं	
11	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में जमा कराये गये ई.पी. एफ की राशि के चालानों की प्रमाणित छायाप्रति।	है/नहीं	
12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-2018, 2018-19 2019-20 एवं 2020-21 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की प्रमाणित छायाप्रति।	है/नहीं	
13	श्रम कल्याण निधि श्रम नियम अनुसार शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	श्रम नियम अनुसार गत 05 वर्ष 2016-17, 2017-2018, 2018-19 2019-20 एवं 2020-21 में जमा किये गये श्रम कल्याण निधि राशि के चालान की प्रमाणित प्रति।		
14	कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन/लंबित न होने का शपथ-पत्र।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं	
15	क्या निविदाकर्ता का इन्दौर शहर में कार्यालय है।	यदि हाँ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।		
16	क्या आपकी संस्था इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।		
17	क्या आपकी संस्था एम.पी.सी.डी.एफ. / भोपाल/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।		

	बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।			
18	क्या आपकी संस्था का एम.पी.सी.डी.एफ /भोपाल/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर /बुंदेलखण्ड/इन्दौर सहकारी दुग्ध संघों एवं किसी शासकीय संस्था/निगम मण्डल/सहकारी संस्था/औद्योगिक संस्थान में ई.पी.एफ, ई.एस.आई एवं सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं	
19	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया है ?	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।		
20	क्या एम.पी.सी.डी.एफ/भोपाल/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड /इन्दौर दुग्ध संघों एवं किसी शासकीय संस्था/निगम मण्डल/सहकारी संस्था/औद्योगिक संस्थान द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है ?	यदि काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं	
21	धरोहर राशि	निर्धारित अनुसार राशि रु 2.00 लाख (अक्षरी रु. दो लाख) जमा कराई गई।	हाँ/नहीं	
22	निविदाकार के पास प्रायवेट सुरक्षा अधिकरण (विनियमन) अधिनियम – 2005 की धारा-7 एवं म.प्र. निजी सुरक्षा अधिकरण (विनियमन) अधिनियम- 2012 की धारा – 8 के तहत पुलिस विभाग, भोपाल की अनुज्ञप्ति प्रमाण जीवित होना चाहिए।		हाँ/नहीं	

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

दिनांक :-

नाम :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष/मो.नं. :-

❖ तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश व शर्त :-

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 14, 18 एवं 20 हेतु पृथक-पृथक शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।
3. ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, "निविदा की सामान्य शर्तें" प्रपत्र क्रमांक 01 पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) "तकनीकी अर्हतायें" में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति तथा तकनीकी अर्हताओं के 22 बिन्दुओं से संबंधित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एक लिफाफे में डालकर निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये " सुरक्षाकर्मी प्रदाय ठेका ई-निविदा (प्रथम)" लिखा जावे एवं निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता भी लिखा जावे। इस लिफाफे को सील बंद लिफाफे में डालकर इन्दौर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 05/12/2022 को दोपहर 3:00 बजे तक भौतिक रूप से अनिवार्यतः जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्रेषित उक्त दस्तावेजों को प्राप्त नहीं किया जावेगा तथा संबंधित निविदाकार की निविदा को अमान्य किया जावेगा।
4. निविदाकार को ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती एवं भावपत्र (प्रपत्र क्रं. 03) को ही ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा, किन्तु निविदा प्रपत्र क्रं. 02(अ) में वर्णित तकनीकी अर्हताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 03 में वर्णित अनुसार ऑफलाइन (भौतिक रूप से) जमा कराना होगा।
5. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें। निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत करने पर उपरोक्त निविदा निरस्त मानी जावेगी।
6. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाईन खोली जायेंगी।
7. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ-साथ ई.पी.एफ चालानों पर अंकित सुरक्षाकर्मीयों की संख्या को भी आधार माना जायेगा।
8. निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा तथा इस हेतु निर्धारित अर्हताओं के संलग्न दस्तावेजों में पृष्ठ क्रमांक अंकित कर प्रपत्र 02 (अ) के कालम क्रमांक 05 में उक्त पृष्ठ क्रमांक दर्शाया जाना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों की इंडेक्स सूची निविदा का प्रथम पृष्ठ होना चाहिए।

9. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारी में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (Earnest Money) राजसात की जा सकेगी। उपरोक्त संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,
चांदा तलावली, मांगलिया इन्दौर – 453771

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

नाम :-

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष/मो.नं. :-

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 14 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ-पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 18 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मके विरुद्ध एम.पी.सी.डी.एफ./ भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों एवं किसी शासकीय संस्था/निगम मण्डल/सहकारी संस्था/औद्योगिक संस्थान में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 20 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक)..... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मको एम.पी.सी.डी. एफ/भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघो एवं किसी शासकीय संस्था/निगम मण्डल/सहकारी संस्था/औद्योगिक संस्थान द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

“भाव पत्र / दर”

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :-

क्र	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रु. 1,00,000/- प्रति सुरक्षाकर्मी)
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान

नोट:-

1	ठेकेदार को मानव दिवस (Mandays) के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2.	‘अ’ मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति सुरक्षाकर्मी की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि जमा करायी जावेगी :-

क्र	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर ।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर ।
3	जी.एस.टी अंशदान – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर ।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :- (केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें)

क्र	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

नोट :-1) 01 प्रतिशत से न्यून सर्विस चार्ज होने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

2) सर्विस चार्ज प्रतिशत के केवल (अंक) ही अंकित किये जावे । प्रतिशत का चिन्ह साथ में न लगाये ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

नाम :-

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष / मो.नं. :-

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

वर्तमान में लगभग निम्नांकित सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता है :-

क्र	पद	सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता													
		डेयरी संयंत्र, चोंदा तलावली	पशु आहार संयंत्र मांगलिया	दुग्ध संयंत्र झाबुआ	दुग्ध संयंत्र खरगौन	दुग्ध संयंत्र बडवानी	दुग्ध संयंत्र सेंघवा (जामली)	दुग्ध संयंत्र खण्डवा	दुग्ध शीतकेन्द्र चापडा	दुग्ध शीतकेन्द्र फूलगाँवडी	दुग्ध शीतकेन्द्र अम्बुआ	दुग्ध शीतकेन्द्र बडवाह	बी.एम.सी., सोनकच्छ	बी.एम.सी., कन्नौद	कुल योग
1	सुरक्षा अधिकारी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			□												
2	सुरक्षा सुपरवाइजर	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
			□												
3	गनमैन	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	सुरक्षा गार्ड	46	7	4	4	3	4	4	3	3	1	1	1	2	83
			□												
	कुल योग	51	10	5	4	3	4	4	3	3	1	1	1	2	92

नोट :- उपरोक्त सुरक्षाकर्मियों की संख्या को आवश्यकतानुसार कम अथवा बढ़ाया भी जा सकता है:-